कार्यालय कलेक्टर जिला–हरदा

क्रमांक 5609 /नाजरात–2020 हरदा,दिनांक 16/06/2020

:: घोष विक्रय (खुली नीलामी) हेतु प्रथम आमंत्रण विज्ञप्ति ::

सर्व साधारण को सूचित किा जाता है कि कलेक्टर कार्यालय हरदा की निम्न निष्प्रयोजित वाहन जहां है जैसी है की बिकी हेतु खुली नीलामी (घोष विक्रय) दिनांक 23/ 07/2020 (दिन गुरूवार) को अपरान्ह 2.00 बजे कलेक्टर कार्यालय हरदा के सभाकक्ष में की जावेगी ।

स. क.	वाहन का पंजीयन क्रमांक	वाहन का प्रकार	मांडल वर्ष	वाहन अवलोकन स्थान	वाहन की सरकारी बोली	सरकारी बोली की 50 प्रतिशत धरोहर राशि
1.	MP-02 RD-4702	जीप महिन्द्रा	2002	कार्यालय तहसीलदार टिमरनी	33000=00	16500=00
2.	MP-02 AB-3203	जीप महिन्द्रा	2011	कार्यालय कलेक्टर जिला हरदा	60,000=00	30,000=00
3.	MP-02 RD-4704	बोलेरो जीप	2007	कार्यालय कलेक्टर जिला हरदा	1,00,000=00	50,000=00

1– वाहन जहां जिस हालत में रखा/खड़ा है उसी हालत में नीलाम किया जावेगा ।

2– वाहन का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय हरदा /तहसील कार्यालय टिमरनी में कार्यालयीन समय में कर सकते है।

3– नीलामी में बोली लगाने के पूर्व वाहन हेतु निविदा शर्त एवं फार्म कार्यवाही शुल्क रूपये 200=00 बैंक चालान के माध्यम से शीर्ष 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाये 800 अन्य प्राप्तियां में जमा कर अवकाश के दिनांक को छोड़कर कार्यालयीन समय में निविदा ज़ारी होने के दिनांक से दिनांक 22 /7/2020 दिन .बुधवार .समय 3.00 बजे तक जिला कार्यालय हरदा प्राप्त किए ~~जा सकते है एवं~~ जावेगें । (कार्यवाही शुल्क वापसी योग्य नही)

4– उपरोक्त तीनो वाहन की खुली नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदार को प्रत्येक वाहन की बोली में भाग लेने हेतु पृथक–पृथक धरोहर राशि के ड्राफ्ट कलेक्टर हरदा के नाम से देय हो दिनांक 23/7/2020 को समय–12 बजे तक जिला नाजीर कलेक्टोरेट हरदा के पास निविदा फार्म सहित जमा कराना अनिवार्य होगी । उपरोक्त समयावधि में पश्चात फार्म जमा नही किये जावेगे ।

5– नीलामी कार्यवाही के दौरान जिस वाहन की उच्चतम बोली जिस पक्षकार की प्राप्त होगी ,उसको 50 प्रतिशत जमा धरोहर राशि से कम कर शेष राशि तीन दिवस के अंदर जमा कराना होगी अगर कोई इसका पालन नही करता है तो उसकी जमा धरोहर राशि संबंधित विभाग के पक्ष में राजसात हो जावेगी तथा उसकी नीलामी निरस्त मान्य की जावेगी । तथा पुनः नीलामी में वाहन की कीमत कम आती है तो कक्षकार (बकायादार) से ऐसी हानि/खर्च म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 के तहत वसूली की कार्यवाही की जावेगी ।

6– नीलामी में भाग लेने हेतु केवल वही व्यक्ति अधिकृत होगा,जिसके द्वारा आवश्यक धरोहर की राशि का डी.डी. दिनाक 23.7.2020 को दोपहर 12.00 बजे तक जिला नाजीर कलेक्टोरेट हरदा के पास जमा कराया है,अन्य किसी व्यक्ति को बोली बोलने का अधिकार नही होगा न ही वह व्यक्ति बोली के दौरान सभा कक्ष में प्रवेश करेगा । सभी नीलामी में भाग लेने वाले अधिकृत व्यक्तियों को निर्धारित नीलामी दिनांक एवं समय पर उपस्थित होना आवश्यक है किसी भी प्रकार का विलम्ब मान्य नही किया जावेगा । नीलामी के दौरान मोबाईल का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । तथा वर्तमान में जारी कोविड–19 हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जांरी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा ।

..2.. निरंतर

Scanned with CamScanner

7— बोली लगाने वाले व्यक्ति को वाहन की सरकारी बोली से राशि एक हजार से अधिक राशि की बोली लगानी होगी

7— किसी भी बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अंतिम निर्णय कलेक्टर हरदा का होगा । जो सर्वमान्य होगा,जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकेगी ।

8— किसी भी प्रकार के विवाद में कलेक्टर हरदा का निर्णय अंतिम होगा जो सर्वमान्य होगा ।

9— उच्चतम दो बोली लगाने वालो को छोड़कर अन्य बोली लगाने वालो की धरोहर राशि उसी दिन वापस कर दी जावेगी ।

10— वाहन अंतिम रूप से निराकरण होने के पश्चात पक्षकार स्वयं के व्यय पर वाहन उठायेगा तथा परिवहन विभाग के नियमो के अधीन 15 दिवस में अपने पक्ष में पंजीयन करायेगा एवं जिसकी सूचना इस कार्यालय को अनिवार्यतः देगा इस पर होने वाला व्यय स्वयं वहन करेगा,शासन द्वारा कोई व्यय वहन नही किया जावेगा ।

11— सफल बोलीदार को वाहन प्राप्ति के समय अपना पहचान पत्र (EPIC CARD)प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

12— उपरोक्त वाहनो के रजिस्ट्रेशन संबंधी कोई भी अभिलेख उपलब्ध नही है तथा न ही उपलब्ध कराने का विभाग का उत्तरदायित्व होगा ।

अपर कलेक्टर,
जिला—हरदा

पृ0क0 5610 /नाजरात—2020 हरदा,दिनांक 16/06/2020

प्रतिलिपिः—

1— प्रमुख राजस्व आयुक्त मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

2— आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

3— अपर संचालक (विज्ञापन शाखा)जनसंपर्क संचालनालय बाणगंगा रोड भोपाल की विज्ञप्ति प्रेषित कर अनुरोध है कि कृपया विज्ञप्ति इंदौर,भोपाल संस्करण सहित तीन राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें ।

4— पुलिस अधीक्षक जिला हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

5— क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

6— अनुविभागीय अधिकारी राजस्व हरदा/टिमरनी/खिरकिया की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

7— तहसीलदार हरदा/टिमरनी/खिरकिया/रहटगांव/सिराली/हंडिया की ओर सूचनार्थ ।

8— जिला कोषालय अधिकारी जिला हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

9— मुख्यनगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद हरदा/नगरपंचायत टिमरनी/खिरकिया के सूचना पटल पर चस्पा हेतु ।

10— उपसंचालक सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला हरदा की ओर विज्ञप्ति सूचना पटल चस्पा हेतु ।

11— जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित । कृपया निविदा कार्यालय कलेक्टर हरदा की वेबसाईट **https://harda.nic.in,** पर अपलोड करने का कष्ट करें ।

12— थाना प्रभारी पुलिस थाना सर्व जिला हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

13— प्रभारी अधिकारी नाजरात शाखा कलेक्टोरेट हरदा । की ओर प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा करें ।

अपर कलेक्टर
जिला—हरदा

NIC (4)

Scanned with CamScanner

कार्यालय कलेक्टर जिला–हरदा (म0प्र0)

निविदा फार्म राशि–200=00

पुरानी अनुपयोगी वाहन के विक्रय हेतु निविदा प्रपत्र

1– निविदाकर्ता का नाम पता एवं दूरभाष कमांक/मोबाईल नम्बर एवं पहचान पत्र की छायाप्रति – ....

2– वाहन नीलामी में भाग लेने के लिये कय निविदा प्रपत्र राशि एवं चालान कमांक दिनांक का विवरण – ....

3– किस–किस वाहन हेतु खुली निविदा में भाग लिया जा रहा है । विवरण देवे – 1.. 2.. 3..

4– कलेक्टर हरदा के नाम से पृथक–पृथक वाहन हेतु जमा की गई धरोहर राशि के बैक ड्राफ्ट कमांक/दिनांक/राशि का विवरण । ....

5– निविदा हेतु निर्धारित नियम एवं शर्ते मेरे द्वारा पढ़ एवं समझ लिये गये है तथा मुझे स्वीकार है । – ....

.6– निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि – ....

7– निविदा प्रपत्र जमा करने की तिथि – ....

7– खुली निविदा में भाग लेने की तिथि समय/स्थान – ....

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
नाम पता /मोबाईल नम्बर

Scanned with CamScanner